भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 997
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)
सम्मेलन में सीसीआई की भागीदारी

997. श्री धर्मवीर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचेम द्वारा आयोजित और निजी उपक्रमों और विभिन्न कंपनियों, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांचाधीन हैं, द्वारा प्रायोजित दिल्ली के हाल के सम्मेलन में सीसीआई के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त वाणिज्यिक आयोजन में सीसीआई की भागीदारी से सीसीआई की विश्वसनीयता और स्वायत्तता के साथ समझौता हुआ है और इनके कार्यकरण में अर्द्ध न्यायिक निकायों के पूर्वोदाहरणों और सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा भविष्य में ऐसी प्रथाओं को रोकने एवं निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49 द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा पक्षधारिता, जागरूकता सृजन और प्रतिस्पर्धा मामलों पर प्रशिक्षण देने का उपाय करता है। यह कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पक्षकारों द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमीनारों और कार्यशालाओं में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों की भागीदारी से किया जाता है। किंतु, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसी वाणिज्यिक कार्यक्रम में भागीदारी नहीं की है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सीसीआई ने आज की तारीख तक 55 पक्षधारिता कार्यक्रमों में भागीदारी की है जिनमें से 04 कार्यक्रम एसोचैम द्वारा आयोजित किए गए हैं। ऐसे सम्मेलनों में

व्यवसायिक संघों/पक्षकारों की ओर से आमंत्रण दिया जाता है और यह आयोग, व्यक्तिगत प्रायोजकों, यदि कोई हो, और एसोसिएशनों के सदस्यों के साथ किसी प्रकार के कार्य व्यवहार में शामिल नहीं रहता है।

*****